

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 15, बुधवार, शाके 1947- अगस्त 06, 2025 <i>Sravana 15, Wednesday, Saka 1947- August 06, 2025</i>	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 05, 2025

जी.एस.आर.51:-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा (दूसरा संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2 का संशोधन.- राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 में,-

(i) खण्ड (ण) के टिप्पण के अन्त में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "; और", के स्थान पर विराम चिह्न ";;" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) विद्यमान खण्ड (त) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड (त) और (थ), प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

"(त) "वि.अ.आ." से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है; और

(थ) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।"

3. अनुसूची-I का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची-I में,-

(i) शीर्ष समूह क: प्रशासनिक विंग के अधीन,-

(क) क्रम संख्यांक 5 के सामने स्तम्भ संख्यांक 7 की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"वि.अ.आ. द्वारा मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य डिग्री और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से शिक्षा स्नातक

(बी.एड.) के साथ स्तम्भ संख्यांक 6 में उल्लिखित पद पर तीन वर्ष का अनुभव।";
और

(ख) क्रम संख्यांक 6 के सामने स्तम्भ संख्यांक 7 की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"वि.अ.आ. द्वारा मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य डिग्री और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से शिक्षा स्नातक (बी.एड.) के साथ स्तम्भ संख्यांक 6 में उल्लिखित पद पर तीन वर्ष का अनुभव।";

(ii) शीर्ष समूह ख: अध्यापक विंग के अधीन,-

(क) क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तम्भ संख्यांक 5 में, विद्यमान अभिव्यक्ति, "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद/सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से शिक्षा स्नातक (बी.एड.)" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तम्भ संख्यांक 5 के मद (ii) में विद्यमान अभिव्यक्ति, "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद/सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से शिक्षा स्नातक (बी.एड.)" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ग) क्रम संख्यांक 5 के सामने स्तम्भ संख्यांक 5 की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

" वि.अ.आ. द्वारा मान्यताप्राप्त कृषि/ उद्यान-कृषि में चार वर्ष की स्नातक की डिग्री और वि.अ.आ. द्वारा मान्यताप्राप्त कृषि/उद्यान-कृषि के सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से शिक्षा स्नातक (बी.एड.)।";

(घ) क्रम संख्यांक 5 के सामने स्तम्भ संख्यांक 7 की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

" वि.अ.आ. द्वारा मान्यताप्राप्त कृषि/ उद्यान-कृषि में चार वर्ष की स्नातक की डिग्री और वि.अ.आ. द्वारा मान्यताप्राप्त कृषि/उद्यान-कृषि के सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से शिक्षा स्नातक (बी.एड.) के साथ स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।";

(ङ) क्रम संख्यांक 6 के सामने स्तम्भ संख्यांक 5 में, विद्यमान अभिव्यक्ति, "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद/सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा" के स्थान पर अभिव्यक्ति, "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से शिक्षा स्नातक (बी.एड.)" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(च) क्रम संख्यांक 7 के सामने स्तम्भ संख्यांक 5 की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"वि.अ.आ. द्वारा मान्यताप्राप्त गृह विज्ञान/सामुदायिक विज्ञान में स्नातकोत्तर या समतुल्य डिग्री और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से शिक्षा स्नातक (बी.एड.)।"; और

(छ) क्रम संख्यांक 7 के सामने स्तम्भ संख्यांक 7 की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"वि.अ.आ. द्वारा मान्यताप्राप्त गृह विज्ञान/सामुदायिक विज्ञान में स्नातकोत्तर या समतुल्य डिग्री, बशर्ते कि उन्होंने स्नातक स्तर पर गृह विज्ञान/सामुदायिक विज्ञान विषय में अध्ययन किया हो और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से शिक्षा स्नातक (बी.एड.) के साथ स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।"।

4. अनुसूची-II का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची-II में, शीर्ष समूह क: अध्यापन विंग के अधीन,-

- (i) क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तम्भ संख्यांक 5 में, विद्यमान अभिव्यक्ति, "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद/सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से शिक्षा स्नातक (बी.एड.)" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ii) क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तम्भ संख्यांक 7 में, विद्यमान अभिव्यक्ति, "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद/सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से शिक्षा स्नातक (बी.एड.)" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (iii) क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तम्भ संख्यांक 7 में, विद्यमान अभिव्यक्ति, "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद/सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से शिक्षा स्नातक (बी.एड.)" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं. एफ. 1(3)डीओपी/ए-II/2021पार्ट]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

दिनेश कुमार शर्मा,

संयुक्त शासन सचिव।

**DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)**

NOTIFICATION

Jaipur, August 05, 2025

G.S.R.51.-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Educational (State and Subordinate) Service Rules, 2021, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Educational (State and Subordinate) Service (Second Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 2.- In rule 2 of the Rajasthan Educational (State and Subordinate) Service Rules, 2021, hereinafter referred to as the said rules,-

(i) for the existing expression “; and”, appearing at the end of Note to clause (o), the punctuation mark “;” shall be substituted; and

(ii) the existing clause (p) shall be substituted by the following clauses (p) and (q), namely:-

“(p) “**UGC**” means the University Grants Commission; and

(q) “**Year**” means the financial year.”

3. Amendment of Schedule-I.- In Schedule-I appended to the said rules,-

(i) under the heading Group A : Administrative wing,-

(a) the existing entries of column number 7 against serial number 5 shall be substituted by the following, namely:-

"Post Graduate or equivalent degree recognized by the UGC and Bachelor of Education (B.Ed.) from any institution recognized by the National Council for Teacher Education with 3 years' experience on the post mentioned in column number 6."; and

(b) the existing entries of column number 7 against serial number 6 shall be substituted by the following, namely:-

"Post Graduate or equivalent degree recognized by the UGC and Bachelor of Education (B.Ed.) from any institution recognized by the National Council for Teacher Education with 3 years' experience on the post mentioned in column number 6.";

(ii) under the heading Group B: Teaching wing,-

(a) in column number 5 against serial number 1, for the existing expression, “degree or diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/Government”, the expression “Bachelor of Education (B.Ed.) from any institution recognized by the National Council for Teacher Education” shall be substituted;

- (b) in item (ii) of column number 5 against serial number 2, for the existing expression, "Degree or Diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/Government", the expression "Bachelor of Education (B.Ed.) from any institution recognized by the National Council for Teacher Education" shall be substituted;
- (c) the existing entries of column number 5 against serial number 5 shall be substituted by the following, namely:-
"Four year Bachelor's degree in Agriculture/Horticulture recognized by the UGC and Post Graduate in relevant subject of Agriculture/Horticulture recognized by the UGC and Bachelor of Education (B.Ed.) from any institution recognized by the National Council for Teacher Education.";
- (d) the existing entries of column number 7 against serial number 5 shall be substituted by the following, namely:-
"Four years Bachelor's degree in Agriculture/ Horticulture recognized by the UGC and Post Graduate in relevant subject of Agriculture/Horticulture recognized by the UGC and Bachelor of Education (B.Ed.) from any institution recognized by the National Council for Teacher Education with 5 years' experience on the post mentioned in column 6.";
- (e) in column number 5 against serial number 6, for the existing expression, "degree or diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education / Government", the expression "Bachelor of Education (B.Ed.) from any institution recognized by the National Council for Teacher Education" shall be substituted;
- (f) the existing entries of column number 5 against serial number 7 shall be substituted by the following, namely:-
"Post Graduate or equivalent degree in Home Science/ Community Science recognized by the UGC and Bachelor of Education (B.Ed.) from any institution recognized by the National Council for Teacher Education."; and
- (g) the existing entries of column number 7 against serial number 7 shall be substituted by the following, namely:-

"Post Graduate or equivalent degree in Home Science/ Community Science recognized by the UGC provided they have studied Home Science/Community Science subject at Graduation level and Bachelor of Education (B.Ed.) from any institution recognized by the National Council for Teacher Education with 5 years' experience on the post mentioned in column 6.".

4. Amendment of Schedule-II.- In Schedule-II appended to the said rules, under heading Group A: Teaching wing,-

- (i) in column number 5 against serial number 1, for the existing expression "Degree or Diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/Government", the expression "Bachelor of Education (B.Ed.) from any institution recognized by the National Council for Teacher Education" shall be substituted;
- (ii) in column number 7 against serial number 1, for the existing expression "Degree or Diploma in Education recognized by the National Council of

Teacher Education/Government”, the expression “Bachelor of Education (B.Ed.) from any institution recognized by the National Council for Teacher Education” shall be substituted; and

- (iii) in column number 7 against serial number 2, for the existing expression “Degree or Diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/Government”, the expression “Bachelor of Education (B.Ed.) from any institution recognized by the National Council for Teacher Education” shall be substituted.

[No. F. 1(3)DOP/A-II/2021 pt.]

**By order and in the name of the Governor,
DINESH KUMAR SHARMA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.**

Government Central Press, Jaipur.